संख्या : 345 /वि0अनु0-3/2001

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1)- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
(2)- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग- 3

देहरादून : दिनांक 22 अक्टूबर, 2001

विषय :- समयमान वेतनमान शासनादेशों में संशोधन।

महोदय,

समयमान वेतनमान की स्वीकृति सम्बन्धी वित्त (सामान्य) अनुभाग के शासनादेश संख्या- 1014/01 वित्त/2001, दिनांक 22 मार्च, 2001 के साथ पठित शासनादेश संख्या- 6011/वि0स0शा0/2001, दिनांक 22 जून, 2001 द्वारा लागू समयमान वेतनमान के विषय में विभागों एवं संगठनों से प्राप्त हुए प्रत्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके पद के वेतनमान का अधिकतम रु0 10,500/- तक है, के लिये उपर्युक्त शासनादेशों के अनुसार लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था में निम्न प्रकार संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- शासनादेश दिनांक 10 अप्रैल, 2001 के प्रस्तर- 2 (2) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित कर दिया जाय :-

"जिन पदधारकों को वैयक्तिक प्रोन्नत/अगला वेतनमान दिनांक 01-03-1995 से पूर्व लागू व्यवस्था के अधीन 16 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा के आधार पर अथवा दिनांक 01-3-1995 से संशोधित व्यवस्था के अधीन 14 वर्ष से अधिक की सेवा पर अनुमन्य हुआ हो, उन्हें 01-03-1995 से संशोधित समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान/अगले वेतनमान में एक वेतनवृद्धि का लाभ उस वेतनमान में न्यूनतम 3 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य होगा।"

(2) (क)- उपर्युक्त श्रेणी के पदधारक जिन्हें 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि तक सीधी भर्ती के पद के सन्दर्भ में दो प्रोन्नती/अगला वेतनमान अथवा दो पदोन्नतियां अनुमन्य नहीं हुई हों, परन्तु जिन्हें एक पदोन्नति प्राप्त हो चुकी हो और वे सीधी भर्ती के पद पर नियमित हों उनकी 24 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01-03-2000 जो भी बाद में हो, से सीधी भर्ती के पद के सन्दर्भ में द्वितीय प्रोन्नति/अगला वेतनमान वैयक्तिक रुप से अनुमन्य करा दिया जाय।

(2) (ख)- उपर्युक्त प्रस्तर- 2 (क) के अनुसार संशोधित व्यवस्था से लाभान्वित होने के उपरान्त, सम्बन्धित कार्मिकों को समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन आगे अन्य कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(3)- शासनादेश दिनांक 12 मार्च, 2001 के संलग्नक के प्रस्तर 4 (1) में लागू व्यवस्थानुसार अगले वेतनमान की अनुमन्यता के मामलों में वेतनमान रु0 2750-4400 तथा रु0 4500-7000 के लिए अगला वेतनमान क्रमशः रु0 3200-4900 तथा रु0 5000-8000 माना जाय।

2– उपर्युक्त विषय में शासनादेश दिनांक 12 मार्च, 2001 तथा 22 जून, 2001 इस सीमा तक संशोधित समझे जायें। उक्त शासनादेशों की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

इन्दु कुमार पाण्डे
सचिव, वित्त।

संख्या : 345 /वि0अनु0–3/2001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1)– महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव।
(2)– रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
(3)– उत्तरांचल सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(4)– हरला चेक अनुभाग।
(5)– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
(6)– समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव।

संख्या : 345 /वि0अनु0–3/2001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव।

संख्या : 345 /वि0अनु0–3/2001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– सचिव, विधान सभा सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव।